पत्रांक–सं0सं0–02 / उ0नि0 / विविध / 14–45 / 2014......................

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

प्रेषकः– **पंकज कुमार सिंह,**
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक, बियाडा,
पटना / भागलपुर / मुजफ्फरपुर / दरभंगा।
महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अंतर्गत ईकाइयों के पात्रता प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आरक्षण कोटि (अनु0 जाति / जन जाति) एवं उत्पाद का उल्लेख करने के संबंध में।**

प्रसंगः– उद्योग निदेशालय का पत्रांक–1435 दिनांक–21.04.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के द्वारा पृच्छा की गई है कि क्या अब तक वैट पासबुक में आरक्षण कोटि (अनु0 जाति / जन जाति) का अंकन महाप्रबंधक द्वारा नहीं किया गया है? अतएव सूचित किया जाय कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अंतर्गत ईकाइयों को निर्गत किए जाने वाले वैट पासबुक में आवेदक की कोटि (अनु0 जाति / जन जाति) अंकित किए जाने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय और भविष्य में भी पात्रता प्रमाण पत्र / वैट पासबुक निर्गत किया जाय उसमें आरक्षण कोटि (अनु0 जाति / जन जाति) का उल्लेख अवश्य किया जाय।

वैट पात्रता प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह भी परिलक्षित हो रहा है कि उसमें ईकाई के द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पाद का उल्लेख नहीं किया जाता है जिससे वैट की प्रतिपूर्त्ति में अन्य उत्पाद के लिए जमा की गई वैट की प्रतिपूर्ति की भी संभावना बनी रहती है। अतः वैट पात्रता प्रमाण पत्र में ईकाई के उत्पाद का भी वर्णन किया जाना आवश्यक है।

कृपया दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वांछित प्रतिवेदन पत्र / ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2795 पटना, दिनांकः– 1/8/16

प्रतिलिपिः– 1. प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।